(10) 164

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमॉकः–प. 13/1/38/वीएस/डीईएस/2012/29617 जयपुर, दिनॉकः– 06-11-2012

परिपत्र

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) और तत्सम्बन्धी राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम,2000 के नियम 9(3) के तहत एक वर्ष से अधिक विलम्बित जन्म या मृत्यु की घटनाओं की शुद्धता का सत्यापन करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत करने के आदेश देने के लिये कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 के द्वारा अधिकृत किया गया है। विभिन्न प्रकार के जारी होने वाले प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में आ रही कठिनाईयों एवं उनके सरलीकरण के लिये अध्यक्ष, राजस्व मण्डल राजस्थान की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता में दिनॉक 5.07.2012 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयानुसार जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अपने जिले में तहसीलदार के पास कार्यभार अधिक होने की स्थिति में सम्बन्धित क्षेत्र के किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3)एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम,2000 के नियम 9(3) के तहत विलम्बित पंजीयन के आदेश देने हेतु अधिकृत कर सकेगें।

(राकेश वर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमॉकः–प. 13/1/38/वीएस/डीईएस/2012/29618-83 जयपुर, दिनॉकः– 06-11-2012
प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ।
2. समस्त जिला सांख्यिकी अधिकारी एवं जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) ।

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)एवं निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,जयपुर।